सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 346 राँची, मंगलवार, 9 ज्येष्ठ, 1938 (श०)
30 मई, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

19 जनवरी, 2017

विषय:- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को किरासन तेल वितरण योजना में प्रति लीटर कमीशन रूपये 01/-(एक रूपये) मात्र निर्धारित करने के संबंध में ।

संख्या- खा.प्र. 01/ज.वि.प्र./कि.ते./08-02/2016 - 260,-- माह अक्टूबर, 2015 से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू हो चुका है जिसके पश्चात् भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जन वितरण प्रणाली दुकानों को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाया जाना है । विभिन्न स्तरों से जन वितरण प्रणाली दुकानों को सुदृढ़ व लाभप्रद बनाये जाने की मांग होती रही है ।

2. भारत सरकार के पत्रांक 15-44/13-NFSA के दिनांक 7 अप्रैल, 2015 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के उपरांत जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को मार्जिन के रूप में बेसिक रूपये 70 प्रति क्विंटल एवं PoS (Point of Sale) device के माध्यम से वितरण किये जाने पर रूपये 17 प्रति क्विंटल की दर से Additional Margin Money राज्य सरकार को उपलब्ध कराने की सूचना दी गयी है । इसमें 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी एवं शेष का वहन राज्य सरकार को करना है ।

3. वर्तमान में जन वितरण प्रणाली दुकानों को खाद्यान्न, नमक एवं चीनी में 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कमीशन बढ़ाकर 1 रूपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है ।

4. किरासन तेल में जन वितरण प्रणाली दुकानों को कमीशन मात्र 10 पैसा प्रति लीटर है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 05 पैसा एवं उपभोक्ता द्वारा 05 पैसा कमीशन के रूप में दिया जाता है। किरासन तेल थोक विक्रेता को कमीशन की दर जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित एवं वहन की जाती है, वह हर साल पुर्नरीक्षित होती है । किरासन तेल में जन वितरण प्रणाली दुकानों को दिया जाने वाले कमीशन झारखंड गठन समय से हीं चली आ रही है । खाद्यान्न, नमक एवं चीनी में कमीशन की दर प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 01 रूपये कर दी गई है ।

5. राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानों को आर्थिक रूप से सबल करना आवश्यक है ताकि Forced Leakages की संभावना समाप्त की जा सके एवं दुकानदारों के जीवन स्तर में सुधार हो सके । इस परिपेक्ष्य में दुकानदारों द्वारा वितरित किरासन तेल के कमीशन में वृद्धि अपेक्षित है ।

6. बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में ही किरासन तेल में कमीशन की दर 01 रूपये प्रति लीटर निर्धारित की जा चुकी है ।

7. उक्त के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का किरासन तेल वितरण में कमीशन 01 रूपये प्रति लीटर की दर से किया जाता है जिसमें 50 प्रतिशत का वहन राज्य सरकार द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत का वहन उपभोक्ता द्वारा किया जाना है ।

8. वितीय वर्ष 2016-17 हेतु किरासन तेल वितरण पर 13.25 करोड़ रूपये का बजटीय उपबंध उपलब्ध है ।

9. तृतीय त्रैमास (अक्टूबर, 2016-दिसम्बर, 2016) एवं चतुर्थ त्रैमास (जनवरी 2017-मार्च 2017) हेतु भारत सरकार से 49032 किलो लीटर किरासन तेल का आवंटन प्रति त्रैमास प्राप्त हुआ है। तथा प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास हेतु क्रमशः 62 हजार किलो लीटर एवं 58 हजार किलो लीटर भारत

सरकार से किरासन तेल प्राप्त हुआ है । इस प्रकार कुल 01 वर्षों में प्राप्त किरासन तेल में 01 रूपये की दर से कमीशन दिया जाये तो निम्नवत् वार्षिक कमीशन होगा ।

(i) कुल कमीशन - 22.00 करोड़ रूपये ।

(ii) लाभुक द्वारा वहन (50 प्रतिशत) - 11.00 करोड़ रूपये ।

(iii) राज्य सरकार द्वारा वहन (50 प्रतिशत) - 11.00 करोड़ रूपये ।

इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में चतुर्थ त्रैमास (जनवरी, 2017 - मार्च, 2017) हेतु 2.5 करोड़ रूपये (लगभग) का व्यय राज्यकोष पर पडेगा जिसके लिए बजटीय उपबंध उपलब्ध है ।

10. उक्त संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 16 जनवरी, 2017 को हुयी बैठक में मद संख्या-05 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 346--100